THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d) At present stock of foodgrains in the Central Pool is very comfortable and to reduce the subsidy and to contain the market prices, the Government has decided to undertake open sale of wheat and rice during 1994-95 also. No decision has yet been taken to export wheat and rice from the Central Pool.

(e) and (f) Already a Revamped Public Distribution System (RPDS) is inoperation to distribute the foodgrains among poor, backward and tribal regions of the country at a specially subsidised rate and the Central Issue Price (Ex-FCI Godowns) is less by Rs. 50/per quintal than the rate prescribed for normal Public Distribution System.

चीनी का उत्पादन

2486. श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री जनार्दन यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990, 1991, 1992 और 1993 में अब तक देश में राज्य-वार चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या चीनी का उत्पादन इसके लक्ष्य से कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम हुआ है;

(घ) केन्द्रीय पूल में राज्य-वार कितनी चीनी उपलब्ध कराई गई;

(ङ) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किये जाने का विचार है; और

(च) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) अपेक्षित सूचना विवरण पर है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) चीनी उत्पादन के कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा रहे हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग की विकास कार्यक्रम के लिए गठित की गई समिति ने पूरे भारत में 1992-93 मौसम के लिए चीनी उत्पादन का लक्ष्य 121.68 लाख टन और 1993-94 मौसम के लिए 127.76 लाख टन निर्धारित किया है। 1992-93 चीनी मौसम के दौरान कुल उत्पादन 106.09 लाख टन था। चालू चीनी मौसम 1993-94 में चीनी उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पूरे मौसम के दौरान वास्तविक उत्पादन इस मौसम के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से बहुत कम होगा।

(घ) 17.12.1979 से चल रही आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के कुल उत्पादन का विनिर्दिष्ट प्रतिशत (विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उच्चतर खुली बिक्री कोटे की पात्र फैक्ट्रियों को छोड़कर) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए अधिसूचित एक्स-फैक्ट्री लेवी कीमतों पर लेवी चीनी के रूप में रिलीज किया जाता है। 1992-93 से लेवी-खुली बिक्री के कोटे का अनुपात 40:60 है। लेवी चीनी के वितरण के लिए अलग से कोई केन्द्रीय पूल नहीं बनाया गया है।

(ङ) यू.एस.ए./ई.ई.सी. को तरजीही कोटा और भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल को अपेक्षित मात्रा के सिवाय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान चीनी निर्यात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) सरकार ने 1993-94 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) 1.10.1993 से 15.11.1993 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में जल्दी पेराई प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(2) 1.1.1994 से 30.9.1994 तक की अवधि के दौरान चीनी मिलों को 1992-93 मौसम की इसी अवधि में किए गए उत्पादन से अधिक अतिरिक्त/इंक्रीमेंटल चीनी उत्पादन पर 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 80 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में बीच की पेराई के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(3) 1.5.1994 से 31.7.1994 तक की अवधि के दौरान किए गए चीनी उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में देर तक पेराई प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

(4) 1.8.1994 से 30.9.1994 तक की अवधि के लिए चीनी मिलों को 1992-93 मौसम की इसी अवधि में किए गए उत्पादन से अतिरिक्त/इंक्रीमेंटल उत्पादन पर 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 100 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

(5) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य का तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(6) के.टी.वेयर्स और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से प्रदान किए जाने वाले ऋण घटक को कुल परियोजना लागत के 66.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) 1992-93 मौसम के लिए 31 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 1993-94 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस.एम.पी.) 34.50 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जो 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से संबंधित है। 1994-95 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 37 रुपये प्रति क्विंटल की अग्रिम घोषणा भी की गई है।

(8) नई चीनी मिलों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

(9) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी फैक्ट्रियों से गुड़ तथा खंडसारी इकाइयों की ओर गन्ने का विपणन रोकने के लिए विभिन्न उपाय करें।

विवरण

1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 चीनी मौसमों के दौरान राज्य-वार चीनी का उत्पादन

(लाख टन)

क्र० सं०	राज्य	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (15.7.94 तक)
1.	पंजाब	2.75	3.84	4.09	3.22
2.	हरियाणा	3.75	4.89	3.45	3.09
3.	राजस्थान	0.24	0.38	0.24	0.16
4.	उत्तर प्रदेश	29.75	36.53	28.57	26.75
5.	मध्य प्रदेश	1.03	1.28	0.60	0.37
6.	गुजरात	8.32	7.53	7.51	8.22
7.	महाराष्ट्र	41.18	42.19	33.60	27.17
8.	बिहार	4.15	4.62	3.27	2.14
9.	असम	0.09	0.09	0.08	0.04
10.	उड़ीसा	0.23	0.37	0.33	0.25
11.	पश्चिमी बंगाल	0.03	0.06	0.04	0.03
12.	नागालैण्ड	0.04	0.04	0.03	0.03
13.	आन्ध्र प्रदेश	7.01	8.43	5.40	6.33
14.	कर्नाटक	9.42	10.32	8.48	7.12
15.	तमिलनाडु	11.83	12.64	9.76	9.65
16.	पांडिचेरी	0.48	0.63	0.45	0.35
17.	केरल	0.09	0.09	0.06	0.03
18.	गोआ	0.08	0.18	0.13	0.07
	समस्त भारत:	120.47	134.11	106.09	95.02

गेहूं की खरीद

2487. **श्री राघवजी:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1994 से जून, 1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से खरीदी गई गेहूं की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार की एजेन्सियों ने ऐसी क्वालिटी के गेहूं को खरीदने से मना कर दिया है जिसने वर्षा के कारण अपनी प्राकृतिक चमक खो दी है परन्तु जो एफ.ए.क्यू. के अंतर्गत आता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी क्वालिटी के गेहूं को खरीदने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के 16 जिलों में वर्षा से प्रभावित चमक रहित गेहूं, जिसमें करनल को कोई क्षति न पहुंची हो, के लिए गेहूं हेतु निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों में 30.6.1994 तक मूल्य में कोई कटौती किए बिना 30% तक ढील देने की इजाजत दी थी ताकि किसान अपनी गेहूं केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी वसूली एजेन्सियों को बेच सकें। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध पर ढील देने की वैधता अवधि 31.7.1994 तक बढ़ा दी गई थी।

विवरण

फरवरी, 1994 से जून, 1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल की गई गेहूं की राज्यवार मात्रा बताने वाला विवरण (फरवरी और मार्च, 1994 के दौरान गेहूं की कोई वसूली नहीं की गई)

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

राज्य	गेहूं की वसूली (2/94 से 6/94)
बिहार	नगण्य